(क) देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय माओवादियों को धन और हथियारों की आपूर्ति के स्त्रोत क्या है;

(ख) माओवादियों द्वारा अपहृत इटली के नागरिकों की रिहाई की शर्तें क्या थीं; और

(ग) मंत्रालय एक अचूक प्रणाली बनाने के लिए क्या उपाय शुरू कर रहा है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों; और

(घ) क्या मंत्रालय माओवादियों के प्रति अपनी नीति की समीक्षा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) : माओवादियों की निधियों का प्रमुख स्त्रोत ठेकेदारों, व्यापारियों, उद्योगों, तेंदू पता व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि से जबरन धन वसूली है। इसके अतिरिक्त, अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए वे बैंक और सरकारी/निजी सम्पत्ति भी लूटते हैं। सुरक्षा बलों और शस्त्र लाइसेंसधारियों से सरकारी हथियार लूटना सीपीआई (माओवादी) की आयुधागार का मुख्य स्त्रोत है। सी पी आई (माओवादी) अपनी हथियार निर्मात्री इकाइयों में देशी हथियारों का निर्माण भी करते हैं। हाल ही में, वे पूर्वोत्तर के विद्रोहियों से हथियार औरर गोलाबारुद प्राप्त करते रहे है।**

**(ख) : सी पी आई (माओवादी) द्वारा अपह्रत इटेलियन नागरिकों की रिहाई की मुख्य शर्त जेल में कैद माओवादी कैडरों को रिहा करना है।**

**(ग) और (घ) : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण ऐसे मामले सीधे संबंधित राज्य सरकार द्वारा निपटाए जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारों से जब कभी भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, भारत सरकार उन्हें यथा संभव सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने और आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर इसका पुन: अभिमुखीकरण करने की अपनी नीति की सतत रुप से समीक्षा करती है।**